क्रम–संख्या— 63 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 15 मार्च, 2016

फाल्गुन 25, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग–1

संख्या 8 / 2016 / 609 / 6-पु-1–16–1300 (7)-1994

लखनऊ, 15 मार्च, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–16

संयुक्त प्रान्तीय आर्म्ड कान्सेटेबुलरी ऐक्ट, 1948 (संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 40, सन् 1948) की धारा 15 के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2015 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम–5 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (ख)(ग)(घ) और (ङ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ख) सहायक परिचालकः–	**(ख) सहायक परिचालकः–**
(दो) 10 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर	(दो) 10 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मशाला कर्मचारियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने सहायक परिचालक का आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पॉच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो,	बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई कर्मशाला कर्मचारियों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी–तीन उत्तीर्ण कर ली हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में कम से कम पॉच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो,
(ग) प्रधान परिचालक / प्रधान परिचालक (यॉन्त्रिक):–	**(ग) प्रधान परिचालक / प्रधान परिचालक (यॉन्त्रिक):–**
(एक) 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।	(एक) रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।
(दो) 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने प्रधान परिचालक / प्रधान परिचालक(यॉन्त्रिक) का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।	(दो) रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई सहायक परिचालकों में से भरे जायेंगे, जिन्होंने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी–दो उत्तीर्ण कर ली हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।
(घ) रेडियो उप निरीक्षक:–	**(घ) रेडियो उप निरीक्षक:–**
रेडियो उप निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई प्रधान परिचालक / प्रधान परिचालक (यॉन्त्रिक) से जिन्होने रेडियो उप निरीक्षक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिए हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।	रेडियो उप निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई प्रधान परिचालक / प्रधान परिचालक (यॉन्त्रिक) से जिन्होने परिचालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रेणी–एक उत्तीर्ण कर ली हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम दस वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।
(ङ) रेडियो निरीक्षक:–	**(ङ) रेडियो निरीक्षक:–**
रेडियो निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रेडियो उप निरीक्षक से भरे जायेंगे, जिन्होने रेडियो	रेडियो निरीक्षक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रेडियो उप निरीक्षक से भरे जायेंगे, जिन्होने रेडियो उप

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
अनुरक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिए हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।	निरीक्षक अथवा रेडियो केन्द्र अधिकारी अथवा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो, और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

3– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम–14 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :— नियम–14 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
रिक्तियों का अवधारण :–	**रिक्तियों का अवधारण :–**
14–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ–साथ नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा। विभागाध्यक्ष भी रिक्तियों की संख्या बोर्ड एवं सरकार को सूचित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विभागाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेंगी :–	14–नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ–साथ नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और विभागाध्यक्ष को सूचित करेगा। विभागाध्यक्ष भी रिक्तियों की संख्या बोर्ड एवं सरकार को सूचित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेंगी :–
(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके;	(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके;
(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा;	(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा;
(तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके; और	(तीन) सेवायोजन कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके; और
(चार) जनसंचार के किन्हीं अन्य माध्यमों द्वारा।	(चार) जनसंचार के किन्हीं अन्य माध्यमों द्वारा।

4–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम–15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :— नियम–15 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ग. अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा	**ग. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा**
घ. शारीरिक दक्षता परीक्षा–	**घ. शारीरिक दक्षता परीक्षा–**
खण्ड ग के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो	खण्ड ग के अनुसार अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अर्हकारी प्रकृति की होगी। बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा, उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा के दिनांक से यथासंभव अगले कार्य दिवस में करायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–2 में विहित की गयी है।	की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा, उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के दिनांक से यथासंभव अगले कार्य दिवस में करायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–2 में विहित की गयी है।

आज्ञा से,
देबाशीष पण्डा
प्रमुख सचिव।